

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION

Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302 005
(RRM DIVISION)

Ref.No.RFC/23FR/HO/Policy-08/270

Dated:03.09.2013

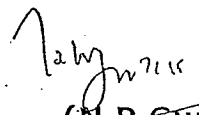
CIRCULAR

(FR-718)

Re: Issue of NOC and release of documents in written off cases of loan sanctioned upto Rs.2.00 lac

The Corporation has written off the cases having loan sanctioned amount upto Rs.2.00 lac and eligible under the deemed settlement scheme vide Circular No.FR-700 dated 12-10-2012. References are being received from the Branches about issue of NOC and release of the documents. Since the Corporation has already written off the cases, documents available with the Corporation are to be released with the letter in the enclosed format. However, in the cases where court case is pending, letter/documents shall be issued/released only after withdrawal of court case.

All concerned are advised to take a note of above.

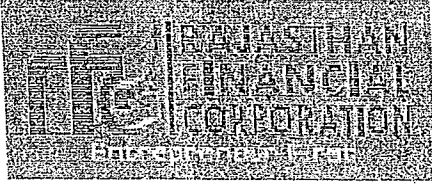

(N.P.Gupta)
General Manager(D)

Encl: As above

Copy to:

1. All BOs / SOs
2. A&I, Ajmer/Jodhpur
3. All DGM (Operations)
4. Standard circulation at HO.

5



राजस्थान वित्त निगम
शाखा कार्यालय :

Phone : _____
E-mail: info@rfc.rajasthan.gov.in

Ref.No.RFC/

Dated: _____.2013

(यह प्रमाण अदेयता प्रमाण-पत्र नहीं है)

श्री _____ (मालिक/भागीदार)

श्री _____ (जमानती)

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____

पता _____

पता _____

विषय : रुपये 2.00 लाख तक के स्वीकृत ऋण खातों को ऋणी एवं जमानती द्वारा अदायगी-
न किये जाने के कारण अपलिखित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: ऋण खाता संख्या _____

मैसर्स _____ पूरा पता _____

महोदय,

राजस्थान वित्त निगम द्वारा उन इकाईयों के ऋण खाते जिनमें ऋण स्वीकृत राशि रुपये 2.00 लाख तक है परन्तु निगम द्वारा पूर्व में किये गये वसूली हेतु अथक / सार्थक प्रयासों के बावजूद भी ऋणी द्वारा बकाया राशि की अदायगी नहीं की गई, को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार निगम की संचालक मण्डल की बैठक में रखा गया। संचालक मण्डल द्वारा वे ऋण खाते जो निगम की डीमड सेटलमेन्ट योजना में पात्रता रखते हैं, को अपलिखित करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त श्रेणी में आपकी इकाई का ऋण खाता भी श्रेणीगत है। आपके ऋण खाते में दिनांक 31.03.2012 को कुल बकाया राशि रुपये _____ (अक्षरे रुपये _____) थी तथा इकाई का खाता गैर-निष्पादित आस्तियां (एन. पी. ए.) की श्रेणी में परिवर्तित हो गया तथा आप द्वारा निगम की बकाया राशि की अदायगी नहीं करने के कारण उक्त बकाया (डिफाल्ट) राशि को अपलिखित करने से निगम को रुपये _____ (अक्षरे रुपये _____) की आर्थिक हानि हुई है।

सूचनार्थ।

भवदीय,

शाखा प्रभारी